



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2000/आषाढ़ 28, 1922

No. 475]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2000/ASADHA 28, 1922

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2000

प्रलेख सं. सी.डी.-418/2000

का.आ. 674 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ उनचासवां संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में, शीर्ष "11. उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" और उसके अंतर्गत उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उप-शीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"11. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय"

(i) उपभोक्ता मामले विभाग

(ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग";

(2) द्वितीय अनुसूची में , -

(क) शीर्ष “उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय” और उससे संबंधित शीर्षों और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उप शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(क) उपभोक्ता मामले विभाग

1. आंतरिक व्यापार ।
2. अंतर्राज्यिक व्यापार : स्परिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) ।
3. वायदा व्यापार का नियंत्रण : अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) ।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) ( ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमते और वितरण, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा विनिर्दिष्टतः व्यवहृत नहीं किया गया है )।
5. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7); उसके अधीन निरोध के अभ्यधीन व्यक्ति ।
6. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।
7. विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण ।
8. संप्रतीक और नाम ( अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) ।

9. बाट और माप मानक : बाट और माप-मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)।
  10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) ।
  11. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन जिसमें वायदा बाजार आयोग, मुम्बई भी है ।
  12. उपभोक्ता सहकारी समितियां ।
  13. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मानीटरिंग और उनकी उपलब्धता ।
  14. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) ।
- ख. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
1. खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेनों, संगमों और अन्य निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद, विश्व खाद्य परिषद्, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, खाद्य सुरक्षा संबंधी आयोग/समितियों में भाग लेना और लिए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।
  2. विदेशों से संधि और करार करना और खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को कार्यान्वित करना ।
  3. खाद्यान्नों जिनमें शर्करा भी है, के भंडारण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और अर्जित करना तथा खाद्यान्न गोदामों के संनिर्माण के लिए भूमि को पट्टे पर लेना या अर्जित करना ।

4. इस विभाग के अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों से संबंधित मामले ।
5. भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम से संबंधित मामले ।
6. इस विभाग को आबंटित किसी विषय के संबंध में विधियों के विरुद्ध अपराध ।
7. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।
8. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसें, सिवाय उन फीसों के जो न्यायालय में ली जाती हैं ।
9. सिविल आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और वितरण तथा सेना के लिए भी शर्करा, चावल और गेहूं का क्रय ।
10. खाद्यानों और अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।
11. खाद्यानों का व्यापार और वाणिज्य तथा पूर्ति और वितरण ।
12. खाद्यानों से भिन्न, खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, पूर्ति और वितरण ।
13. खाद्यानों और खाद्य पदार्थों का कीमत नियंत्रण ।
14. भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मामले ।
15. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।

16. जहां तक कि खाद्यानों का संबंध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10) और चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 ( 1980 का 7) ।
17. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के संबंध में विधियों के विरुद्ध अपराध ।
18. इस विभाग को आबंटित किसी भी विषय के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।
19. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध तिलहन, वनस्पति तेल, खली और वसा से है ।
20. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा की कीमतों का नियंत्रण और उनमें अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य और उनकी पूर्ति एवं वितरण ।
21. वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ।
22. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि के द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध शर्करा उद्योग ( जिसमें चीनी खांडसारी विकास भी है ) से है ।
23. शर्करा के संबंध में अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।
24. शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली ।
25. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ।
26. राष्ट्रीय शर्करा और गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ ।

27. शर्करा उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित मामले ।
28. अंतर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद् ।
29. शर्करा विकास निधि ।
30. शर्करा का व्यापार और वाणिज्य और उत्पादन, पूर्ति तथा वितरण ।
31. शर्करा का मूल्य नियंत्रण ,'';

(ख) शीर्ष "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" के अधीन,-

- (i) उपशीर्ष "क. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग" में प्रविष्टि 11 और 12 का लोप किया जाएगा ;
- (ii) उपशीर्ष "ख. माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग";

(ग) शीर्ष "विद्युत मंत्रालय" के अधीन,-

- (i) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-  
"4.भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9), विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54), विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 और विद्युत विधि ( संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का 22) का प्रशासन";
- (ii) प्रविष्टि 7(ड) के पश्चात् , निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"7(ढ) विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ।"।

[फा. सं. 1/22/1/2000-मंत्रि.]

वी० के० गाबा, उप सचिव

**CABINET SECRETARIAT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2000

**Doc. CD-418/2000**

**S.O. 674(E)**:- In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty - ninth Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the first Schedule, for the heading "11. Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution (Upbhokta Mamle aur Sarvajanik Vitaran Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"11. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upbhokta Mamle, Khadya aur Sarvanajik Vitaran Mantralaya)

(i) Department of Consumer Affairs (Upbhokta Mamle Vibhag)

(ii) Department of Food and Public Distribution (Khadya aur Sarvajanik Vitaran Vibhag)"

(2) in the Second Schedule,-

(A) for the heading "MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)" and the sub-headings and the entries relating thereto, the following heading, sub-headings and the entries shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS (UPBHOKTA MAMLE VIBHAG)

1. Internal Trade.
2. Inter-State Trade : the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955).
3. Control of Future Trading : the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).
4. The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (Supply, Price and Distribution of Essential Commodities not dealt with specifically by any other Ministry/ Department).
5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980); persons subjected to detention thereunder.
6. Regulation of Packaged Commodities.
7. Training in Legal Meterology.
8. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1952 (12 of 1952).
9. Standards of Weights and Measures; The Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976).
10. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).
11. All attached or subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.



12. Consumer Cooperatives.
13. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
14. The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

B. DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (KHADYA AUR SARVAJANIK VITRAN VIBHAG)

1. Participation in international conferences, Associations and other bodies concerning food, i.e. International Wheat Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute, Commission/Committees on Food Security and implementation of decisions made thereat.
2. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgrains and other foodstuffs.
3. Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar, taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.
4. Matters relating to subordinate and attached offices under this Department.
5. Matters relating to the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation.

6. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.
7. Enquiries and statistics for the purpose of any of the subjects allotted to this Department.
8. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.
9. Purchase of foodstuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat.
10. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other foodstuffs.
11. Trade and commerce in, and supply and distribution of foodgrains.
12. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of foodstuffs other than foodgrains.
13. Price control of foodgrains and foodstuffs.
14. Matters relating to the Food Corporation of India.
15. Public Distribution System.
16. Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980), in so far as foodgrains are concerned.
17. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.
18. Enquiries and Statistics for the purpose of any subject allotted to this Department.
19. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oilseeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
20. Price Control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oilseeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
21. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.
22. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relates to Sugar Industry (including development of Sugar Khandsari)

23. Inter-state Trade and Commerce in respect of Sugar.
24. Directorate of Sugar, New Delhi.
25. National Sugar Institute, Kanpur.
26. National Institute of Sugar and Sugarcane Technology, Mau.
27. Matters relating to the Development Council of Sugar Industry, New Delhi.
28. International Sugar Council.
29. Sugar Development Fund.
30. Trade and Commerce in, and the production, supply and distribution of sugar.
31. Price Control of Sugar.";

(B) Under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)",-

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY (PRARAMBHIK SHIKSHA AUR SAKSHARTA VIBHAG)", entries 11 and 12 shall be omitted;

(ii) in the sub-heading "B. DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION (MADHYMIK SHIKSHA AUR UCHCHATAR MADHYMIK VIBHAG)", for the "(MADHYMIK SHIKSHA AUR UCHCHATAR MADHYMIK VIBHAG)", the following shall be substituted, namely:-

"(MADHYMIK SHIKSHA AUR UCHCHATAR SHIKSHA VIBHAG)";

(C) under the heading "MINISTRY OF POWER (VIDYUT MANTRALAYA)",-

(i) for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:-

"4. Administration of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 and Electricity Laws (Amendment) Act, 1998 (No. 22 of 1998).";

(ii) after entry 7(m), the following entry shall be inserted, namely:-

"7(n) Power Trading Corporation Limited.".

[F. No. 1/22/1/2000-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.